

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.10.2024

जनपद- चन्दौली

जिला अधिकारी चन्दौली, श्री निखिल टी. फुंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 10 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधियों के विरुद्ध की गई जिला बदर की कार्यवाही

चन्दौली:- जिला अधिकारी चन्दौली, श्री निखिल टी. फुंडे व पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओं में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 10 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी है। तथा इन अपराधियों को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया है। अगर इसके बाद भी कोई शहर की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन का पूरा प्लान पुलिस के पास तैयार रखा है। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।

जिला बदर अपराधियों का आपराधिक इतिहास-

1. अमूल पाण्डेय पुत्र केशव उर्फ बलिराम पाण्डेय निवासी ग्राम-हेतमपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

(अवैध हथियार रखना)

1-मु0अ0सं0 50/2021 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

2-मु0अ0सं0 51/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

3-मु0अ0सं0 12/2023 धारा 392,411 भा०द०वि० थाना धानापुर जनपद चंदौली

4-मु0अ0सं0-33/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धीना जनपद चंदौली

2. संजय सोनकर पुत्र सोहन सोनकर निवासी सतपोखरी थाना मुगलसराय जनपद चंदौली।

(मार-पीट करने का अभियोग)

1-मु0अ0सं0 103/2016 धारा 323,504,506,352,452,325 भा०द०वि० थाना मुगलसराय।

2- मु0अ0सं0 212/2016 धारा 147,148,323,504,506,427,308,354क,325 भा०द०वि० थाना मुगलसराय।

3-मु0अ0सं0 267/2021 धारा 323,504,506 भा०द०वि० थाना मुगलसराय।

4.मु0अ0सं0 383/2021 धारा 323,504,506,452 भा०द०वि० थाना मुगलसराय।

3. सोनू सिंह उर्फ सतीश सिंह उर्फ विपिन सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी ग्राम बभनिनांव थाना धीना जनपद चंदौली।

(हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने, गैंगेस्टर एक्ट,)

1-मु0अ0सं0 25/2015 धारा 201,364ए भा0द0वि0 थाना धानापुर

2-मु0अ0सं0 32/2015 धारा 34,307,504 भा0द0वि0 व 7 सीएल एक्ट थाना धानापुर

3-मु0अ0सं0 37/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानापुर

4-मु0अ0सं0 37/2020 धारा 302,120-बी,34,41,411 भा0द0वि0 थाना बलुआ

5-मु0अ0सं0 39/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ

6.मु0अ0सं0 132/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया

7.मु0अ0सं0 230/2023 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना बलुआ

4. रमेश बिंद उर्फ बाढू पुत्र मुसाफिर बिंद निवासी ग्राम कवई पहाडपुर थाना धानापुर जनपद चंदौली

(अवैध हथियार रखने,)

1-मु0अ0सं0 51/2020 धारा 380,411 भा0द0वि0 थाना धानापुर ।

2-मु0अ0सं0 65/2020 धारा 380,411 भा0द0वि0 थाना धानापुर ।

3-मु0अ0सं0 99/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धानापुर

5. पप्पू उर्फ संजय चौहान पुत्र रामसूरत चौहान निवासी ग्राम कर्माबंधा थाना नौगढ जनपद चंदौली

(गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम)

1-मु0अ0सं0 35/2015 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नौगढ

2-मु0अ0सं0 92/2021 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नौगढ

3-मु0अ0सं0 110/2022 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नौगढ

6. रिकु सिंह उर्फ चंद्रजीत सिंह पुत्र निवास सिंह निवासी ग्राम नोनार तुलसी आश्रम थाना सकलडीहा जनपद चंदौली

(मार-पीट करने का अभियोग)

1-मु0अ0सं0 121/2021 धारा 323,325,452,504,506 भा0द0वि0 थाना सकलडीहा

2-मु0अ0सं0 179/2022 धारा 323,342,504,506 भा0द0वि0 थाना सकलडीहा

3-मु0अ0सं0 98/2018 धारा 147,148,149,307,504,506 भा0द0वि0 व सी0एल0ए0एक्ट थाना धीना

4.मु0अ0सं0 118/2023 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 थाना धानापुर

7. प्रदीप मौर्या पुत्र स्व0 शंभू मौर्या निवासी ग्राम फतेपुर कला थाना इलिया जनपद चन्दौली।

(गोवध निवारण अधिनियम, मार-पीट करने, अवैध हथियार रखने)

1-मु0अ0सं0 02/2021 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, 419,420,467,468,471,277 भा0द0वि0 थाना चन्दौली ।

2-मु0अ0सं0 78/2018 धारा 323,325,354ख,452,504,506 भा0द0वि0 थाना चन्दौली।

3- मु0अ0सं0 80/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चन्दौली।

8. प्रदीप सिंह उर्फ बरू सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम खडान थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

(हत्या, चोरी, गैगेस्टर एक्ट, अवैध हथियार रखना)

1-मु0अ0सं0 291/2011 धारा 328,392,411 भा0द0वि0 थाना चन्दौली ।

2-मु0अ0सं0 01/2012 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना चन्दौली।

3-मु0अ0सं0 37/2020 धारा 120बी,302,34,41,411 भा0द0वि0 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ

4-मु0अ0सं0 118/2023 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 थाना धानापुर।

5-मु0अ0सं0 155/2023 धारा 279,337 भा0द0वि0 थाना अलीनगर।

9. गोविंद राम पुत्र स्व मिश्री राम निवासी ग्राम खोर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली ।

(गैगेस्टर एक्ट, धोखाधड़ी करना, चोरी करना)

1-मु0अ0सं0 139/2014 धारा 457,380,411 भा0द0वि0 थाना सकलडीहा ।

2-मु0अ0सं0 188/2014 धारा 379,411,414,419,420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना सकलडीहा ।

3-मु0अ0सं0 निल/2024 धारा 41,411,414 भा0द0वि0 थाना सकलडीहा ।

4-मु0अ0सं0 82/2016 धारा धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना सकलडीहा

5-मु0अ0सं0 102/2016 धारा 109 द0प्र0स0 थाना सकलडीहा


10. कलाधर सिंह उर्फ विजय बहादुर सिंह पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासी ग्राम महुरा प्रकाशपुर थाना धीना जनपद चन्दौली ।

(आबकारी अधिनियम, गैगेस्टर एक्ट, धोखाधड़ी करना)

1-मु0अ0सं0 24/2017 धारा 60/63 उ0प्र0 उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम थाना धीना ।

2-मु0अ0सं0 11/2020 धारा 60/63 उ0प्र0 उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम थाना धीना ।

- 3.मु0अ0सं0 66/2015 धारा 147,148,323,504,506 भा०द०वि० थाना धीना ।
- 4.मु0अ0सं0 24/2017 धारा 60/63 उ0प्र0 उत्पाद शुल्क/आबकारी अधिनियम थाना धीना ।
- 5.मु0अ0सं0 115/2015 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना धानापुर ।
- 6.मु0अ0सं0 253/2016 धारा 419,420 भा०द०वि० व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना धीना ।
- 7.मु0अ0सं0 387/2016 धारा 272 भा०द०वि० व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना सकलडीहा ।
- 8.मु0अ0सं0 24/2017 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना धीना ।
- 9.मु०अ०सं० 198/2017 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना सकलडीहा
- 10.मु0अ0सं0 11/2020 धारा 272,273 भा०द०वि० व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना धीना ।
- 11.मु0अ0सं0 36/2021 धारा 272,273,419,420,467,468,471 भा०द०वि० व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना धीना।
- 12.मु०अ०सं० 47/2021 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना धीना।



थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा स्कार्पियो वाहन से ले जाते समय कुल 61 किलो 330 ग्राम नाजायज गांजा के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवैध गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 15.50 लाख रूपये

पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली श्री आदित्य लाहें द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश में, अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष नौगढ़ के नेतृत्व में थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18.10.2024 को समय लगभग 20.50 बजे कौवाघाट पुल के पास से चेकिंग करते समय स्कार्पियो वाहन में कुल 02 बोरी में कुल 61 किलो 330 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ एवं 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नौगढ़ पर मु0अ0स0 99/2024 धारा 8/20/60 NDPS Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ विवरण अभियुक्तगण- गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण 1. मोन्टी जादौन व गोल्डी सिंह से पूछताछ पर बताया गया कि हम लोग बिहार प्रान्त के भभुआ जिले के ग्राम डुमरकोन से कम दामों पर गांजा खरीदते है और उसको लेकर वाहन से अलीगढ व बुलन्दशहर ले जाकर उचे दामों पर बेच देते है जिससे हमलोगो को ज्यादा फायदा होता है। अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। हम लोगो का गिरोह है। हम लोग अपने भौतिक आर्थिक बुनियादी लाभ के लिये अपने तथा अपने गिरोहो के लिये करते है।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण- 1. मु0अ0स0 99/2024 धारा 8/20/60 NDPS Act थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मोन्टी जादौन पुत्र महेश कुमार निवासी ग्राम क्यौली खुर्द थाना अरनियाँ जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 23 वर्ष
2. गोल्डी सिंह पुत्र रविपाल सिंह निवासी ग्राम क्यौली खुर्द थाना अरनियाँ जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास अभियुक्त मोन्टी-

1. मु0अ0सं0 70/24 धारा 147/148/308/323/506 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्द शहर
2. मु0अ0सं0 146/19 धारा 147/323/504/506 भादवि व 3(1) द एससी एसटी एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्द शहर
3. मु0अ0सं0 288/24 धारा 110/115(2)/117(2)/190 BNS थाना अरनिया जनपद बुलन्द शहर
4. मु0अ0सं0 294/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अरनिया जनपद बुलन्द शहर
5. मु0अ0सं0 295/22 धारा 414 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्द शहर
6. मु0अ0सं0 733/22 धारा 379/411 भादवि थाना खुर्जांनगर जनपद बुलन्दशहर
7. मु0अ0सं0 223/23 धारा 147/148/149/302/307/323/34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चंडौस जनपद अलीगढ़

8. 1120/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस तृतीय जनपद गौतमबुद्धनगर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त गोल्डी-

1. मु0अ0सं0 334/21 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्द शहर

2. मु0अ0सं0 1382/21 धारा 279/304ए/338/427 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्द शहर

बरामदगी –

1-कुल 61 किलो 330 ग्राम नाजायज गांजा

2-दो मोबाइल

3-एक स्कार्पियो वाहन JH 01 FG 6930 (घटना मे प्रयुक्त)

4- 3960 रूपये/ नगद

गिरफ्तारी /बरामदगी करने वाली टीम-

1.थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली ।

2.उ0नि0 अनन्त कुमार भार्गव चौकी प्रभारी अमदहा थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली ।


3.हे0का0 अमित कुमार यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली ।

4.हे0क0 आशुतोष सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली ।

5.का0 सूरज यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली ।

6.का0 विशाल यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली ।

7.का0 फारूक थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।



थाना चन्दौली, जनपद चन्दौली

◆थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से लगभग 43 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब की गयी बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे के निर्देशानुसार, विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक एवं राजेश राय क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक चन्दौली गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व में चन्दौली पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.10.2024 को उ0नि0 रावेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा 02 अभियुक्त को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना चन्दौली पर मु.अ.स. 255/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कार्यवाही-दिनांक 18.10.2024 को उ0नि0 रावेन्द्र सिंह मयहमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर लीलापुर फाटक के पास 02 अभियुक्तों को लगभग 43 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह दोनों चन्दौली के विभिन्न शराब के ठेके पर जाकर शराब खरीदकर इकट्ठा कर बिहार बिक्री हेतु ले जा रहे थे।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.अभय कुमार पुत्र बबबन सिंह निवासी ग्राम महदीगंज सासाराम नगर रोहतास बिहार 40 वर्षी
- 2.प्रमोद कुमार सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी- ग्राम चनका पेनार नोकाहा रोहतास बिहार 41 वर्षी

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.स. 255/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम

विवरण बरामदगी- 1.कुल 236 पाउच (8 पीएम 180 एमएल)

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रावेन्द्र सिंह मय हमराह

थाना चकिया जनपद चन्दौली

◆थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा जंगल के रास्ते पैदल हांककर वध हेतु ले जा रहे 05 राशि गोवंश बरामद करते हुए 01 शातिर पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा अवैध शराब/ गोतस्करों के विरुद्ध चलाये जा अभियान में दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली के कुशल नेतृत्व में थाना चकिया पर गठित टीम के द्वारा दिनांक 19.10.2024 को अभियुक्त द्वारा 05 राशि गोवंशीय पशुओं को वध हेतु राजदरी देवदरी नौगढ के रास्ते बिहार पैदल हांककर ले जाते समय मोकुराम बंधी वधद ग्राम सदापुर से 05 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए अभियुक्त बुल्लू चौहान उर्फ मान सिंह पुत्र रामनारायण निवासी जुडुई थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर हालपता ग्राम दादो थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हमलोगो का एक समूह है। हम लोग अपने साथियों के साथ मिलकर अहरौरा, चुनार सोनभद्र के आस पास के गांवो से गोवंश पशुओं को सस्ते दामों पर करीब दो से ढाई हजार मे खरीद कर सुकृत के जंगलो मे इकट्ठा करके सदापुर जंगल के रास्ते मूसाखांड होते हुए बिहार ले जाते है, जहां पर गाडियों मे लोड करके पश्चिम बंगाल पण्डुआ लेकर जाते है। जहां उनको अधिक दामो में बेचा जाता है। हम लोगो को बिहार, पश्चिम बंगाल में गोवंश पशुओं की ज्यादा कीमत मिलती है। उससे जो लाभ होता है हम लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेते है। तस्करी करना ही हम लोगो का मुख्य पेशा है।

नाम पता अभियुक्त- 1. बुल्लू चौहान उर्फ मान सिंह पुत्र रामनारायण निवासी जुडुई थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर हालपता ग्राम दादो थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर

अभि0 बुल्लू चौहान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 006/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 187/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली
3. मु0अ0सं0 191/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना चकिया जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण- 1.05 राशि गोवंश

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह चौकी प्रभारी शिकारगंज थाना चकिया जनपद चन्दौली
3. अभिनव कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी रामपुर भभौरा थाना चकिया जनपद चन्दौली 4. हे0का0 रामतीर्थ थाना चकिया जनपद चन्दौली। 5. हे0का0 अनुज कुमार यादव जनपद चन्दौली। 6. का0 रवीन्द्र कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।